


कार्यालय प्राचार्य
शासकीय मो.ह.गृहविज्ञान एवं विज्ञान महिला
महाविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)

जबलपुर, दिनांक : 22 / 06 / 2021


सूचना

बी.एस-सी. प्रथम, द्वितीय वर्ष विज्ञान एवं गृहविज्ञान तथा एम.एस-सी. द्वितीय सेमेस्टर विज्ञान एवं गृहविज्ञान की छात्राओं को सूचित किया जाता है कि वे महाविद्यालय प्रवेश शुल्क (सभी किश्तें) एवं परीक्षा शुल्क आवश्यक रूप से जमा करें अन्यथा उनके प्रवेश पत्र (Admit Card) जेनेरेट नहीं होंगे।

सभी छात्राएँ प्रवेश शुल्क एवं परीक्षा शुल्क की रसीद अपने शिक्षक अभिभावक (Teacher Gardian) को **Whatsapp** के माध्यम से आवश्यक रूप से प्रेषित करें।



डॉ. श्रीमती ममता श्रीवास्तव
परीक्षा नियंत्रक
शा.मो.ह.गृहविज्ञान एवं विज्ञान महिला
महाविद्यालय, जबलपुर
& Science for Women, Jabalpur



डॉ. अखिलेश अयाची
प्रभारी प्राचार्य
शा.मो.ह.गृहविज्ञान एवं विज्ञान महिला
& SC. for women, Jabalpur (M.P.)
महाविद्यालय, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक : 23/06/2021

सूचना

बी.एस-सी. प्रथम, द्वितीय वर्ष विज्ञान एवं गृहविज्ञान तथा एम.एस-सी. द्वितीय सेमेस्टर विज्ञान एवं गृहविज्ञान की छात्राओं सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्र. 663/142/आउशि/ शा-5अ/2021 दिनांक 31/05/2021 के अनुसार -

1. सैद्धांतिक परीक्षा Open Book System (खुली किताब पद्धति) मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्र. 663/142/आउशि/शा-5अ/2021 दिनांक 31/05/2021 की कंडिका क्र. 4 के अनुसार प्रायोगिक परीक्षा प्रत्यक्ष रूप में नहीं होगी।
2. प्रायोगिक परीक्षा के सत्रावधि अंकों के लिये विभाग द्वारा प्रायोगिक विषय के प्रश्न दिये जायेंगे, जिनका मूल्यांकन कर सत्रावधि (सेशनल) अंक दिये जायेंगे। सत्रावधि अंकों के गुणानुकृत में करते हुए उस विषय के प्रायोगिक अंक दिये जायेंगे।

सत्रावधि अंक के लिये आवश्यक प्रश्न-पत्र मुख्य सैद्धांतिक परीक्षा प्रश्न-पत्र के साथ अलग से दिया जायेगा, जिनका उत्तर, पृथक उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा।

मुख्य सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक (सत्रावधि अंकों हेतु) परीक्षा के प्रश्न- पत्र महाविद्यालय की website - www.gmhcollege.org.in पर Upload किये जायेंगे, जिसकी संभावित तिथियाँ -

(अ) बी.एस-सी. द्वितीय वर्ष गृहविज्ञान एवं विज्ञान तथा एम.एस-सी. द्वितीय सेमेस्टर विज्ञान एवं गृहविज्ञान
10 जुलाई 2021.

(ब) बी.एस-सी. प्रथम वर्ष गृहविज्ञान एवं विज्ञान
15 जुलाई 2021

संलग्न - म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग का आदेश की प्रति।

डॉ. श्रीमती ममता श्रीवास्तव
परीक्षा नियंत्रक
Controller of Examination
शासकीय मो.ह.गृहविज्ञान एवं विज्ञान महिला
& Science for Woman, Jabalpur

डॉ. अखिलेश अयाची
प्राचार्य
शासकीय मो.ह.गृहविज्ञान एवं विज्ञान महिला
& Science for Woman, Jabalpur

प्रति,

1. कुलसचिव,
समस्त पारंपरिक/निजी/दूरस्थ विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।
2. प्राचार्य,
समस्त शासकीय/स्वशासी/अनुदान प्राप्त अशासकीय/अशासकीय महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश।

विषय- कोविड-19 के संक्रमण के परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं को ओपन बुक पद्धति से आयोजित करने के निर्देश।


- संदर्भ- 1. उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय का आदेश क्रमांक 528/605/2021/38-3, भोपाल, दिनांक 31.03.2021
2. कार्यालयीन पत्र क्रमांक 589/142/आउशि/शा-5'अ'/2021, दिनांक 04.05.2021

—0—

उपरोक्त विषय के संदर्भ में कोविड-19 के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर की समस्त परीक्षाएं ओपन बुक पद्धति से आयोजित करने के निर्देश जारी किये गये हैं।

2. स्नातक/स्नातकोत्तर की ओपन बुक पद्धति परीक्षा 2020-21 में शामिल हो रहे समस्त नियमित/स्वाध्यायी परीक्षार्थी विश्वविद्यालयवार वेबसाईट पर प्रश्न पत्र अपलोड होने के पूर्व तक बिना विलम्ब शुल्क के ऑनलाईन परीक्षा फार्म जमा कर सकेंगे। परीक्षा फार्म/शुल्क की रसीद उत्तर-पुस्तिका के साथ संबंधित परीक्षा केन्द्र में जमा करेंगे।
3. संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित वेबसाईट पर प्रश्न पत्र उपलब्ध कराये जायेंगे। परीक्षार्थी वेबसाईट से प्रश्नपत्र डाउनलोड कर प्रश्न पत्र हल करेंगे। विस्तृत दिशा निर्देश संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा जारी किए जायेंगे।
4. स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर समस्त प्रायोगिक विषयों के लिए महाविद्यालय स्तर से सेशनल के प्रश्नों को नियमित एवं स्वाध्यायी परीक्षार्थियों के लिये प्रेषित करते हुए ओपन बुक पद्धति उत्तरपुस्तिकायें प्राप्त कर मूल्यांकन उपरांत प्राप्तियों को गुणानुकृत करते हुए संबंधित विश्वविद्यालय को प्राप्तोंक प्रेषित किया जाए।
5. ऐसे परीक्षार्थी जो आंतरिक मूल्यांकन में शामिल नहीं हुए हैं, उनके आंतरिक मूल्यांकन ओपन बुक पद्धति के माध्यम से प्राप्त किए जाएं।
6. स्नातक अंतिम वर्ष/स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर की ऐसे परीक्षार्थी जिन्होंने प्रोजेक्ट अथवा असाइनमेंट जमा नहीं किया है उनके प्रोजेक्ट अथवा असाइनमेंट ओपन बुक पद्धति से स्वीकार किया जाएं।
7. ओपन बुक परीक्षा की उत्तरपुस्तिका का मूल्यांकन संबंधी कार्य निर्धारित समय-सीमा में जिला स्तर पर प्राचार्य, समस्त शासकीय अग्रणी महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित कराया जाएं। कुलसचिव समस्त विश्वविद्यालय उत्तरपुस्तिका संग्रहण/मूल्यांकन में होने वाले व्यय की राशि अग्रिम के रूप में संबंधित प्राचार्य, शासकीय अग्रणी महाविद्यालय को प्रेषित करेंगे।

(प्रशासकीय विभाग द्वारा अनुमोदित)


(चन्द्रशेखर वालिम्बे)
अपर आयुक्त
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश.